प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर .वर्ष 2022**
   प्र0इ0रि0 सं0 120 **/2022.....दिनांक...**8/4/2022.....

2. **(I) *अधिनियम ...** धाराये. 7, 7ए, (संशोधित) पीसी एक्ट 2018
   (II) *अधिनियम.....धारायें ..120 बी भा.द.स.
   (III) *अधिनियम .....धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. **(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....**154**..... समय .** 5.00 PM
   (ब) अपराध घटने का दिन - बुधवार दिनांक 06.04.2022 समय 04:24 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 11.03.2022 समय 01:35 पी.एम.

4. **सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक** लिखित

5. **घटनास्थल:-** ग्राम बसई, तहसील बहरोड़, जिला अलवर
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- उत्तर दिशा दूरी करीब 150 कि0मी0
   (ब) पता :
   बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....

6. **परिवादी / सूचनाकर्ता :-**
   (अ) नाम:- श्री इन्द्रसिंह
   (ब) पिता/पति का नाम - श्री जगमाल सिंह
   (स) जन्म तिथि/वर्ष .....40 वर्ष.....
   (द) राष्ट्रीयता .भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय .
   (ल) पता - निवासी ग्राम गुगड़िया, ग्राम पंचायत बसई, तहसील बहरोड़, जिला अलवर, राजस्थान

7. **<u>ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित</u> :-**
   श्री कृष्ण कुमार मीणा पुत्र श्री बुधराम जाति मीणा, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम बसई, तहसील बहरोड़, थाना नीमराणा, जिला अलवर, राजस्थान हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत बसई, तहसील बहरोड़, जिला अलवर, राजस्थान (प्राईवेट व्यक्ति) व अन्य

8. **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-..कोई नहीं.....**

9. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)**
   20,000 रूपये रिश्वती राशि

10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य:-** 20,000/-रूपये रिश्वती राशि

11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....**

12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-**

हालात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 11.03.2022 को परिवादी श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह निवासी ग्राम गुगडिया, ग्राम पंचायत बसई, तहसील बहरोड़, जिला अलवर, राजस्थान ने अति0 पुलिस अधीक्षक, नगर-प्रथम, जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि मै उपरोक्त पते का रहने वाला हूं तथा मेरा गांव ग्राम पचांयत बसई के अधीन आता है मैने प्रशासन गांव के संग अभियान में दिनांक 21.12.2021 को पुश्तैनी मकान का पट्टा बनवाने के लिये आवेदन किया था जिसकी विज्ञप्ति अखबार में भी प्रकाशित हुई थी। ग्राम पंचायत बसई का हाल सरपंच पति कृष्ण कुमार (जो पूर्व सरपंच भी था) मेरे से पट्टा जारी करने की एवज में 20,000/ (बीस हजार रूपये) की मांग कर रहा है। मै इस जायज कार्य के लिये रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ और सरपंच पति कृष्ण कुमार को रंगे हाथों रिस्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूँ। उक्त ग्राम पचांयत की सरपंच श्रीमती मीनाक्षी देवी कुछ काम नहीं करती है जिसका पूरा काम सरपंच पति कृष्ण कुमार ही करते है तथा पट्टे की एवज में मुझे बार-बार फोन करके दबाव बना रहा है। अतः श्रीमान् जी निवदेन है की इस शिकायत पर कानूनी कार्यवाही करने की अनुकम्पा करें मेरी कृष्ण कुमार एवं सरपंच से कोई रंजिस अथवा उधारी नहीं है। उक्त परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन का निर्णय लिया गया। परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बंद करने का तरीका समझाकर श्री राजकुमार कानि. नं. 364 का परिवादी श्री इन्द्र सिंह से परिचय करवाया जाकर दिनांक 11.03.2021 को श्री राजकुमार कानि. को परिवादी के साथ भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया, इसके बाद परिवादी द्वारा यह बताये जाने पर कि संदिग्ध आरोपी से उसकी पट्टे के सम्बन्ध में दुबारा वार्ता हो सकती है। जिस पर कानि राजकुमार नं. 364 के आकास्मिक अवकाश पर होने से कानि0 मनु शर्मा नं. 111 को विभागीय डिजीटल वाईस रिकोर्डर सुपुर्द कर परिवादी के पास भेजकर दिनांक 24. 03.2022 को पुनः रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। उसके बाद श्री मनु शर्मा कानि. ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आकर मन् पुलिस निरीक्षक को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया व बताया कि परिवादी की ग्राम पंचायत बसई के सरपंच पति श्री कृष्ण कुमार मीणा से वार्ता हुई है, जिसने मुझसे मेरा आवासीय पट्टा जारी करने की ऐवज में 20,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की है। इसके बाद परिवादी के पास संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था हो जाने पर दिनांक 05.04.2022 को परिवादी श्री इन्द्र सिंह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा बताया कि उसकी संदिग्ध आरोपी से आज रास्ते में अचानक मुलाकात हो गई, जिसने मुझसे कल रिश्वत राशि लेकर आने को कहा है। जिस पर दिनांक 06.04.2022 को ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय किया गया। चूंकि यूनिट की सर्च दिनांक 01.04.22 से 05.04.2022 तक होने से सर्च के लिए पूर्व में पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहन श्री राजेश कुमार बैरवा वरिष्ठ सहायक, कार्यालय विद्याधर नगर जोन तथा श्री मनोज कुमार चांवरिया वरिष्ठ सहायक, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर तलबिदा कार्यालय में उपस्थित आने पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाते हुए ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान के रूप में उपस्थित रहने की सहमति चाही गई तो दोनों ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद दिनांक 11.03.2022 तथा 24.03.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता की वार्ता रूपान्तरण तैयार की जाकर फर्द ट्रासंक्रिप्ट तैयार की जाकर वॉईस क्लिप 03 सीडी में रिकार्ड/सेव कर मार्का अंकित किया जाकर सीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व सीडी अनुसार कपड़े के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। इसके बाद दिनांक 06.04.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक श्री श्रवण कुमार मय श्री नीरज गुरनानी उप अधीक्षक पुलिस, श्री मनोहर सिंह हैड कानि. 42, श्री हरिसिंह कानि. नम्बर 19, श्री आशीष कानि. 208, श्री बंशीधर कानि. 363, श्री मनु शर्मा कानि0 111, श्री राजकुमार कानि0 364, श्रीमती राजबाला महिला कॉनि. 495 तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री मनोज कुमार चांवरिया वरिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान के एवं डिजिटल वाईस

रिकॉर्डर अपने पास सुरक्षित रखकर ब्यूरो कार्यालय जयपुर से जरिये सरकारी वाहन संख्या सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 युसी 8799 व आरजे 14 युडी 1394 मय चालकगण के रवाना होकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता के बहरोड़-नारनौल सड़क मार्ग पर बिजौरावास ग्राम तिराहे के पास चौरंगीनाथ बिसाहबाबा मंदिर के पास पहुंचा, जहां पर पूर्व में पाबंदशुदा परिवादी मौजूद मिला। जिसका स्वतंत्र गवाहान व हमराहीयान जाप्ता का आपस में परिचय कराया गया तथा गोपनीय कार्यवाही में साथ रहने की हिदायत की गई। परिवादी श्री इन्द्र सिंह ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध आरोपी को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहने पर परिवादी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये पेश किये। उक्त नोटों को फर्द में अंकित करवाकर नोटों पर श्री बंशीधर कानि. 363 से गाड़ी के डेस्क बोर्ड से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों पर नियमानुसार फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। जिसकी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी तथा उक्त पाउडर युक्त नोट परिवादी श्री इन्द्रसिंह की पहनी हुई पेंट की सामने की दांयी जेब में श्री बंशीधर कानि. 363 से रखवाये जाकर हिदायत की गई संदिग्ध आरोपी के मांगने पर उक्त राशि उसे सुपुर्द करें, इससे पूर्व उक्त पाउडरयुक्त राशि को हाथ नहीं लगावे तथा संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद परिस्थिति अनुसार अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल कर ट्रेप पार्टी को मुकर्रर ईशारा करने की परिवादी को हिदायत दी गई। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता के सरकारी वाहनों से तथा परिवादी श्री इन्द्रसिंह को उसकी मोटरसाईकिल पर श्री राजकुमार कानि. के साथ रवाना कर ग्राम बसई से पहले पहुंचे, जहां पर सरकारी वाहनों को साईड में खड़ा करवा कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी की उपस्थिति मालूम करने हेतु संदिग्ध आरोपी के मकान पर भिजवाया गया, परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक के पास वापस आकर बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा, सरपंच पति अभी अपने घर पर नहीं है, मालूमात करने पर ग्राम पंचायत कार्यालय में मिंटिग में गया होना बताया तथा मिटिंग में काफी लोग होने से वहां पर रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करने की संभावना होने पर संदिग्ध आरोपी के घर पर आने का इंतजार करते हुये मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व परिवादी के बसई ग्राम के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहा। इसके बाद परिवादी श्री इन्द्र सिंह ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा ग्राम पंचायत की बैठक से अपने घर पर आ चुका है। जिस पर परिवादी को विभागीय डिजिटल रिकॉर्डर को पुनः चालु व बंद करने का तरीका समझाकर तथा उसके एंव आरोपी की मध्य होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने की हिदायत दी जाकर तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद परिस्थिति अनुसार अपने ट्रेप पार्टी को मुकर्रर ईशारा करने वायस रिकॉर्डर चालु करने की हिदायत कर उसकी मोटर-साईकिल से राजकुमार कॉनि. के साथ संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क करने हेतु रवाना किया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एंव ट्रेप पार्टी सदस्यों को भी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के आस-पास रहकर यथासंभव देखने की हिदायत दी गई तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता के पैदल-पैदल परिवादी के पीछे रवाना होकर संदिग्ध आरोपी के मकान के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इतंजार किया गया। इसके बाद परिवादी श्री इन्द्रसिंह ने समय 04:24 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को ग्राम बसई में पूर्व निर्धारितानुसार मोबाईल से मिसकॉल कर रिश्वत राशि प्राप्ति का निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने मौके पर सरपंच पति श्री कृष्ण कुमार मीणा के मकान के बाहर आस-पास खड़े ट्रेप पार्टी के सदस्यों एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहों को साथ लेकर सरपंच पति श्री कृष्ण कुमार मीणा के मकान के अन्दर पहुंचा, जहां पर मकान की बैठक में परिवादी बैठा हुआ मिला व उसके पास एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ मिला जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से पूर्व में दिया हुआ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर बंद कर मेरे पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने अपने पास में बैठे सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह सरपंच पति श्री

कृष्ण कुमार मीणा है जिन्होनें अभी-अभी मेरे से प्रशासन गावों के संग अभियान में मेरे पुश्तेनी मकान का ग्राम पंचायत बसई से आवासीय पट्टा जारी करने की ऐवज में मेरे से 20,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर दोनो हाथों से गिनकर अखबार के टुकड़े के अन्दर लपेट कर सोफा पर रखे हैं। जिसके बाद मैंने परिवादी के पास बैठे हुये व्यक्ति को अपना व ट्रेपपार्टी के सदस्यों का परिचय देकर आने का मंतव्य बताया तथा उस व्यक्ति से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम पता कृष्ण कुमार मीणा पुत्र श्री बुधराम निवासी ग्राम बसई, तहसील बहरोड़, थाना नीमराणा, जिला अलवर हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत बसई होना बताया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री कृष्ण कुमार से परिवादी श्री इन्द्रसिंह से ली गई रिश्वती राशि 20,000 रूपये के संबंध में पूछने पर बताया कि श्री इन्द्रसिंह द्वारा अपने ग्राम गुगड़िया स्थित मकान का आवासीय पट्टा लेने के लिए ग्राम पचांयत बसई में आवेदन किया था, जिसके लिए इन्द्रसिंह से नियमानुसार डीएलसी रेट के हिसाब से उक्त राशि ली थी। जिस पर पास ही खड़े परिवादी श्री इन्द्र सिंह ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये बताया कि मैंने प्रशासन गावों के संग अभियान में दिनांक 21.12.2021 को पुश्तैनी मकान का पट्टा बनवाने के लिये ग्राम पचांयत बसई में आवेदन किया था जिसके लिए इन्होनें मेरे से मेरे उक्त मकान का आवासीय पट्टा जारी करने की ऐवज में मेरे से 20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी। उक्त तय की गई रिश्वत राशि अभी-अभी मैनें इनको दी है जिन्हें लेकर इन्होंने सोफे पर रखे हैं। जबकि उक्त पट्टा जारी करने में 250-300 रुपये प्राप्त कर ग्राम पचांयत द्वारा 250-300 रुपये की रसीद जारी की जाती है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री कृष्ण कुमार को परिवादी से ली गई रिश्वत राशि बाबत पूछने पर बताया कि मैंने उक्त राशि अखबार के टुकड़े में लपेट कर सोफे पर रखे है। जिस पर सोफे पर अखबार में रखी हुई राशि अखबार सहित स्वतंत्र गवाह श्री राजेश कुमार बैरवा से उठवाकर गिनवाने पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष 500-500 रुपये के 40 नोट होना पाये गये, जिनको अखबार सहित स्वतंत्र गवाह श्री राजेश कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये। मकान की सरसरी तौर पर तलाशी लेने पर कोई आपत्तिजनक दस्तावेज/राशि नहीं पाई गई। सरपंच पति श्री कृष्ण कुमार से वर्तमान सरपंच उसकी पत्नी श्रीमती मिनाक्षी देवी के बारे में पूछने पर मकान पर नहीं होना व कुछ देर पहले ही अपने पीहर गई होना बताया। चूंकि घटना स्थल आरोपी का निवास स्थान होने व आरोपी के परिवारजनों व परिचितों की धीरे-धीरे भीड़ बढ़ने व शोरगुल होने से यहां पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आगामी कार्यवाही पुलिस चौकी निम्भौर, थाना बहरोड़ में किये जाने का निर्णय लेकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व परिवादी मय आरोपी श्री कृष्ण कुमार के दोनों हाथों को कानि. श्री मनुशर्मा व कानि. श्री आशीष की मदद से पकड़वाकर सरकारी वाहन में बैठाकर रवाना होकर पुलिस चौकी निम्भौर के लिए रवाना हुआ, ग्राम पंचायत भवन से वांछित रसीद बुक व पट्टो की प्रति भी प्राप्त की जानी है। इसलिए ग्राम पंचायत भवन बसई पहुंचा, जहां पर पचांयत भवन के ताला लगा हुआ मिला व ग्राम सचिव मौजूद नहीं होने पर ग्राम सचिव श्री संदीप कुमार से मोबाईल से सम्पर्क करने पर अभी दूसरी जगह गया होना बताया व थोड़ी देर में पहुंचना बताया। जिस पर श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस मय कानि. श्री राजकुमार व श्री बंशीधर के ग्राम पंचायत भवन ग्राम सचिव से वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु पचांयत भवन छोड़कर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता हमराहीयान व परिवादी मय आरोपी श्री कृष्ण कुमार के रवाना होकर पुलिस चौकी निम्भौर, थाना बहरोड़ पहुंच कर पुलिस चौकी के कक्ष में बैठकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा पूर्व में सुरक्षित रखे गए विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सरसरी तौर पर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। तत्पश्चात् पुलिस चौकी से प्लास्टिक की साफ बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में से दो नये साफ कांच के गिलास निकलवाकर दोनों गिलासो को साफ पानी से अच्छी तरह से साफ करवाकर दोनो गिलासो में साफ पानी डालकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री कृष्ण कुमार

मीणा के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क आर-1 व आर-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसी प्रकार दूसरे कांच के गिलास में तैयार शुदा घोल में श्री कृष्ण कुमार मीणा के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को बारी-बारी डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री राजेश कुमार के पास अखबार के टुकड़े के अन्दर लपेटकर सुरक्षित रखी राशि को निकलवाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाने पर 500-500 रूपये के चालीस नोट कुल 20,000 रूपये मिले जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से किया गया तो हुबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1.	एक पांच सौ रुपये का नोट	9 QN 338517
2.	एक पांच सौ रुपये का नोट	6 DV 433675
3.	एक पांच सौ रुपये का नोट	8 NP 648014
4.	एक पांच सौ रुपये का नोट	8 NN 102582
5.	एक पांच सौ रुपये का नोट	9 RG 565866
6.	एक पांच सौ रुपये का नोट	9 AW 179015
7.	एक पांच सौ रुपये का नोट	5 HG 877754
8.	एक पांच सौ रुपये का नोट	5 NA 050947
9.	एक पांच सौ रुपये का नोट	5 AS 020026
10.	एक पांच सौ रुपये का नोट	2 UA 308847
11.	एक पांच सौ रुपये का नोट	2 CN 020865
12.	एक पांच सौ रुपये का नोट	3 TK 577956
13.	एक पांच सौ रुपये का नोट	4 GK 911843
14.	एक पांच सौ रुपये का नोट	6 PP 168012
15.	एक पांच सौ रुपये का नोट	4 QS 241847
16.	एक पांच सौ रुपये का नोट	6 PP 168013
17.	एक पांच सौ रुपये का नोट	3 AG 378102
18.	एक पांच सौ रुपये का नोट	6 AU 115375
19.	एक पांच सौ रुपये का नोट	0 GN 288040
20.	एक पांच सौ रुपये का नोट	7 EC 662814
21.	एक पांच सौ रुपये का नोट	8 UL 597365
22.	एक पांच सौ रुपये का नोट	2 SG 433730
23.	एक पांच सौ रुपये का नोट	0 US 367823
24.	एक पांच सौ रुपये का नोट	4 ER 658515
25.	एक पांच सौ रुपये का नोट	0 DE 409400
26.	एक पांच सौ रुपये का नोट	1 LL 993793
27.	एक पांच सौ रुपये का नोट	4 GN 877384
28.	एक पांच सौ रुपये का नोट	8 UA 095669
29.	एक पांच सौ रुपये का नोट	4 LT 714702

30.	एक पांच सौ रुपये का नोट	1 KL 354522
31.	एक पांच सौ रुपये का नोट	7 MH 542936
32.	एक पांच सौ रुपये का नोट	1 EE 688276
33.	एक पांच सौ रुपये का नोट	4 BS 506114
34.	एक पांच सौ रुपये का नोट	1 HB 677178
35.	एक पांच सौ रुपये का नोट	9 WH 348183
36.	एक पांच सौ रुपये का नोट	2 DR 185718
37.	एक पांच सौ रुपये का नोट	7 KA 982885
38.	एक पांच सौ रुपये का नोट	7 TW 767898
39.	एक पांच सौ रुपये का नोट	5 PQ 577494
40.	एक पांच सौ रुपये का नोट	7 TW 767788

उक्त नोटो को सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात एक अन्य साफ कांच के गिलास में पूर्वानुसार घोल तैयार करवाकर जिस अखबार के टुकड़े के अन्दर रिश्वती राशि रखी गई थी, उक्त अखबार के टुकड़े को एक साफ कपड़े के टुकड़े से पौंछकर उस कपड़े को कांच के गिलास में डुबोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो अन्य साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया व उक्त अखबार के टुकड़े पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में सील मोहर कर मार्क ''पी'' अंकित कर पैकिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। श्री नीरज गुरनानी उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही श्री राजकुमार व श्री बंशीधर कानि तथा ग्राम सचिव श्री संदीप कुमार के उपस्थित आये। इस संबंध में ग्राम सचिव श्री संदीप कुमार से उक्त पट्टा जारी करने के संबंध में पूछने पर बताया कि मैं ग्राम पचांयत बसई में ग्राम सचिव के पद पर दिनांक 28.12.2021 से पदस्थापित हूं। मेरे कार्यकाल में ग्राम पंचायत बसई से कोई भी पट्टा जारी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत बसई से ''प्रशासन गांवो के संग अभियान'' के दौरान जारी किये गये पट्टे मेरे कार्यकाल से पूर्व के जारी किये हुये है, जिन पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम सचिव श्री संदीप कुमार ने ग्राम पंचायत बसई का पंचायत कार्यवाही रजिस्टर पेश किया, जिसका अवलोकन करने पर दिनांक 21.12.2021 को सरपंच श्रीमती मिनाक्षी देवी की अध्यक्षता में आयोजित पंचायत की बैठक का विवरण है जिसमें पंचायत बैठक में आवश्यक कोरम पूर्ण होने तथा 'प्रशासन गांव के संग अभियान 2021' में आज दिनांक 21.12.2021 में बैठक आयोजित करने का लिखा है तथा आवेदकों के आवेदन पत्रों पर दिनांक 11.11.2021 को मौका निरीक्षण समिति द्वारा एवं 26.11.21 को मौका रिपोर्ट पेश करना तथा 01.12.21 को दैनिक भास्कर अलवर में आपत्ति प्राप्त करने का नोटिस तथा आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा सभी आवेदन आबादी क्षेत्र के होने पर क्रम सं. 01 से 20 तक आवेदकों के नाम अंकित है, जिसमें क्रम सं. 18 पर श्री भूपसिंह, इन्द्र सिंह पुत्रान जगमाल सिंह यादव, गुगड़िया (परिवादी) का नाम अंकित है तथा कोरम द्वारा उपरोक्त समस्त पट्टो का शुल्क जमा करवाकर पट्टा जारी करना तथा वितरण करना अंकित किया गया है। इसके अलावा एक विनियमितिकरण पट्टा रजिस्टर पेश किया, जिसका अवलोकन करने पर रजिस्टर के पृष्ठ सं. 09 पर वर्ष 2021-22 'प्रशासन गांव के संग अभियान 2021' में दिनांक 21.12.2021 को क्रम सं. 01 से 20 तक पट्टो के संबंध में विवरण है, जिसमें क्रम सं. 18 पर श्री भूपसिंह, इन्द्र सिंह पुत्रान जगमाल सिंह यादव, गुगड़िया (परिवादी) का नाम अंकित है तथा रजिस्टर में पृष्ठ के नीचे सरपंच, ग्राम पंचायत बसई की सील मोहर व हस्ताक्षर है। एक सामान्य रोकड़ रजिस्टर पेश किया, जिसका अवलोकन करने पर दिनांक 21.12.2021 को

परिवादी श्री इन्द्रसिंह के पट्टे के शुल्क का कोई इन्द्राज नहीं है। एक पट्टा बुक पेश की, जिसका अवलोकन करने पर बुक सं. 09 में क्रम सं. 01 से 04 तक नियम 158 के तहत पटटे जारी किये हुये की कार्यालय प्रति है, जिसमें बुक सं. 09 के पट्टा संख्या 03 दिनांक 21.12.2021 को श्री भूपसिंह, इन्द्र सिंह पुत्रान जगमाल सिंह यादव, गुगड़िया (परिवादी) के नाम जारी किये हुये की कार्यालय प्रति है, जिस पर ग्राम सचिव, ग्राम पचांयत बसई की सील व हस्ताक्षर है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत बसई की सील है, लेकिन सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है, जो कि संदिग्ध प्रतीत होता है। श्री संदीप कुमार, ग्राम सचिव व सरपंच पति श्री कृष्ण कुमार ने पूर्व के ग्राम सचिव श्री सुभाष चन्द्र के हस्ताक्षर होना बताया तथा सरपंच के हस्ताक्षर नहीं होने के संबंध में कोई स्पष्ट व संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उक्त पट्टो की मूल प्रति के बारे पूछने पर वर्तमान ग्राम सचिव श्री संदीप कुमार द्वारा उक्त पट्टा पूर्व में जारी होना बताया व ग्राम पंचायत कार्यालय में नहीं होना बताया तथा सरपंच पति द्वारा परिवादी श्री इन्द्रसिंह के मूल पट्टे के बारे में पूछने पर सरपंच पति श्री कृष्ण कुमार ने उक्त मूल पट्टा के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नही कराई व गुमराह कर कभी पूर्व ग्राम सचिव के पास होना व कभी ग्राम पंचायत कार्यालय में हो सकना बताया, जबकि वर्तमान ग्राम सचिव श्री संदीप कुमार द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय में उक्त मूल पट्टा नहीं होना बताया। वर्तमान ग्राम सचिव श्री संदीप कुमार द्वारा बताया गया कि परिवादी श्री भूपसिंह, इन्द्र सिंह पुत्रान जगमाल सिंह यादव, गुगड़िया (परिवादी) के नाम जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 21.12.2021 को नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया जाना चाहिए था, जिसका 'प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021' के अन्तर्गत नियमानुसार शुल्क 100/रुपये होना चाहिए था। मेरे द्वारा श्री इन्द्रसिंह से कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की गई तथा सरपंच पति श्री कृष्ण कुमार मीणा द्वारा श्री इन्द्रसिंह से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। ग्राम सचिव श्री संदीप कुमार से उक्त रिकॉर्ड की प्रमाणित छायाप्रतियां प्राप्त की गई। ग्राम सरपंच श्रीमती मिनाक्षी देवी से पूछताछ हेतु बताये गये मोबाईल पर सम्पर्क करना चाहा, परन्तु अन्य की आवाज आने तथा बाद में मोबाईल 'नोट रिचेबल' होने से सम्पर्क नहीं हो सका। इस संबंध में सरपंच पति श्री कृष्ण कुमार से रिश्वत राशि ग्राम सरपंच श्रीमती मिनाक्षी देवी को देने बाबत व पट्टा सरंपच द्वारा जारी करने के संबंध में पूछने पर सरपंच पति द्वारा बताया गया कि मेरी पत्नी सरपंच श्रीमती मिनाक्षी देवी कम पढ़ी लिखी होने के कारण मेरी पत्नी से संबंधित समस्त कार्य मै ही देखता हूं। उसको पट्टे जारी करने की कार्यवाही के बारे में कोई मालूम नहीं होना तथा उक्त पट्टा जारी करने की ऐवज में प्राप्त रिश्वत राशि में सरपंच का कोई हिस्सा नहीं होना व रिश्वत राशि के बारे में सरपंच को कोई जानकारी नहीं होना बताया। इस संबंध में सरपंच श्रीमती मिनाक्षी देवी तथा पूर्व ग्राम सचिव श्री सुभाष चन्द्र की भूमिका के बारे में अनुसंधान के दौरान स्थिति स्पष्ट की जावेगी। आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा को उसके व परिवादी श्री इन्द्रसिंह के मध्य रिश्वत लेन-देन की वार्ता के संबंध में आप अपनी नमूना आवाज देने बाबत नोटिस जारी कर फर्द नमूना आवाज बनाई गई। आरोपी श्री कृष्ण कुमार को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराकर हस्बकायदा धारा 41 द0प्र0सं0 के प्रावधानो के अनुसार हस्बकायदा गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी तैयार की गई तथा आरोपी से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट तैयार किया गया। शिल्डशुदा आर्टिकल्स पर लगाई गई फर्द नमूना सील तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर को स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष कम्प्यूटर की सहायता से सुना जाकर वॉईस क्लिप का वार्ता रूपान्तरण लेपटॉप की सहायता से तैयार किया जाकर रिश्वत लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर रिकॉर्ड वार्ता की नियमानुसार तीन सीडी में रिकार्ड/सेव किया जाकर मार्का अंकित किये जाकर आदि कार्यवाही की गई।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया है, कि परिवादी श्री इन्द्र सिंह द्वारा ग्राम गुगड़िया स्थित उसके पुश्तैनी मकान का आवासीय पट्टा लेने हेतु ग्राम पचांयत बसई, पंचायत समिति बहरोड़, जिला अलवर में आवेदन किया गया था। उक्त पट्टा जारी करने की ऐवज में सरपंच पति श्री कृष्ण

कुमार मीणा द्वारा सत्यापन के दौरान दिनांक 11.03.22 व 24.03.2022 को परिवादी से 20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 06.04.2022 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान आरोपी श्री कृष्ण कुमार द्वारा परिवादी से 20,000/रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये को रंगे हाथ पकड़े जाने तथा ग्राम पंचायत बसई के पंचायत कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 21.12.2021 को सरपंच श्रीमती मिनाक्षी देवी की अध्यक्षता में आयोजित पंचायत की बैठक में आवेदकों के आवेदन पत्रों पर मौका निरीक्षण समिति द्वारा मौका रिपोर्ट पेश करना तथा दैनिक भास्कर अलवर में आपत्ति प्राप्त करने का नोटिस तथा आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा सभी आवेदन आबादी क्षेत्र के होने पर क्रम सं. 01 से 20 तक आवेदकों के नाम अंकित है, जिसमें क्रम सं. 18 पर श्री भूपसिंह, इन्द्र सिंह पुत्रान जगमाल सिंह यादव, गुगड़िया (परिवादी) का नाम अंकित है तथा कोरम द्वारा उपरोक्त समस्त पट्टो का शुल्क जमा करवाकर पट्टा जारी कर वितरण करना इसके अलावा विनियमितिकरण पट्टा रजिस्टर के पृष्ठ सं. 09 पर क्रम सं. 18 पर भी श्री भूपसिंह, इन्द्र सिंह पुत्रान जगमाल सिंह यादव, गुगड़िया (परिवादी) का नाम अंकित होना तथा पट्टा बुक सं. 09 में पट्टा संख्या 03 दिनांक 21.12.2021 को श्री भूपसिंह, इन्द्र सिंह पुत्रान जगमाल सिंह यादव, गुगड़िया (परिवादी) के नाम जारी किये हुये की कार्यालय प्रति होना अर्थात परिवादी का पट्टा जारी कर रिश्वती राशि प्राप्त होने के पश्चात ही पट्टा दिये जाने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत बसई की सरपंच श्रीमती मिनाक्षी देवी व पूर्व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है, जो अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व सपठित धारा 120बी भा.द.सं. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री कृष्ण कुमार मीणा पुत्र श्री बुधराम जाति मीणा, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम बसई, तहसील बहरोड़, थाना नीमराणा, जिला अलवर, राजस्थान हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत बसई, तहसील बहरोड़, जिला अलवर, राजस्थान (प्राईवेट व्यक्ति) व अन्य के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत 7, 7ए, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व सपठित धारा 120बी भा.द.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय

(श्रवण कुमार)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर प्रथम, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री श्रवण कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त श्री कृष्ण कुमार मीणा पुत्र श्री बुधराम निवासी ग्राम बसई, तहसील बहरोड़ जिला अलवर हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत बसई, तहसील बहरोड़ जिला अलवर, राजस्थान (प्राईवेट व्यक्ति) एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 120/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

8/4/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

क्रमांक 1068-72 दिनांक 8.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर